



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक: सचिव, हरियाणा वि0 शि0 बोर्ड, भिवानी	सेवा में, सभी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक
--	--

क्रमांक:-11112/सै0/सी0सै0

दिनांक: 04.01.2022

विषय:-सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक)/पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा वार्षिक परीक्षा सत्र मार्च-2022 हेतु राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा गुरुकुल/विद्यापीठ के परीक्षार्थियों की चैक लिस्ट में छात्रों के विवरणों में शुद्धि बारे।

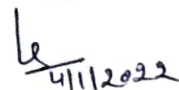
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

01. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी(शैक्षिक)/पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा वार्षिक परीक्षा मार्च-2022 के लिए विद्यालयों तथा गुरुकुल/विद्यापीठ के परीक्षार्थियों की चैक लिस्ट दिनांक 05.01.2022 से विद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर जारी की जा रही है, जिसे विद्यालय मुखिया, विद्यालय को जारी किए गए लॉगिन आई0 डी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं।
02. चैक लिस्ट में दर्ज विवरणों जैसे फोटो/हस्ताक्षर, आधार नम्बर/परिवार पहचान -पत्र, विषय में कोई त्रुटि है तो दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 12.01.2022 तक नि:शुल्क ऑन-लाइन ठीक कर सकते हैं। इसके उपरान्त फोटो/हस्ताक्षर एवं विषय में कोई शुद्धि नहीं की जाएगी।
03. इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के अन्य विवरणों में शुद्धि करवाई जानी है तो मूल रिकॉर्ड एवं 300/रु0 प्रति शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में दस्ती तौर पर आकर करवा सकते हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा परीक्षार्थी के विषयों में ऑन-लाइन आवेदन करते समय प्रायोगिक विषय नहीं भरा है तथा परीक्षार्थी द्वारा प्रायोगिक विषय का नियमित अध्ययन किया गया है, अब प्रायोगिक विषय लेने हेतु शुद्धि करवाना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यालय प्रायोगिक विषय/विषयों हेतु 100/रु0 प्रति परीक्षार्थी प्रायोगिक विषय शुल्क एवं रिकॉर्ड सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हो कर करवा सकते हैं।
04. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा कक्षा ग्यारहवीं/बारहवीं में किसी अतिरिक्त विषय का नियमित अध्ययन किया गया है तथा ऑन-लाइन आवेदन में विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय नहीं लिया जा सका तथा अब अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं तो ऐसे विद्यालय उपरोक्त वर्णित तिथियों में परीक्षार्थी का मूल रिकार्ड दिखाते हुए अतिरिक्त विषय हेतु निर्धारित 200/-रुपये अतिरिक्त विषय शुल्क तथा जिस तिथि को मूल रिकार्ड प्रस्तुत किया जाता है उस तिथि को ऑन-लाइन आवेदन हेतु निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित हो कर करवा सकते हैं। इसके उपरान्त किसी भी प्रकार के प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की रही त्रुटि के लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

अतः सभी प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक उपरोक्त वर्णित अनुसार समय रहते कार्रवाई करना सुनिश्चित करें इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय



उप-सचिव (परीक्षाएं)
कृते : सचिव